दिनांक 20.06.2025 "स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई"

भिलाईनगर। नगर के खटाल संचालको को एक स्थान पर सुव्यस्थित बसाहट के लिए निगम द्वारा कुरूद ग्राम के अंतिम छोर के शासकीय भूमि में गोकुल नगर का निर्माण कर आबंटित भूमि मालिको को सूचना पत्र का वितरण किया गया। राशि भुगतान निगम कोष में करते ही पंजीयन का रास्ता खुल जाएगा। भिलाई निगम क्षेत्र के धनी आबादी तथा शहर के बीच में संचालित हो रहे खटालों को सुव्यवस्थित बसाहट के लिए निगम द्वारा कुरूद में गोकुल नगर का निर्माण कर खटाल संचालको को भूमि आबंटित किया गया था। कतिपय कारणो से उक्त भूमि का पंजीयन आबंटितो के नाम पर आज तक नही हो सका था। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने इस दिशा मे पहल करते हुए गोकुल नगर में भ्रमण कर वास्तविक स्थिति से अवगत होने नये सिरे से सर्वेक्षण किये जाने का निर्देश जोन आयुक्त जोन 02 येशा लहरे को दिए और जोन के राजस्व टीम ने सर्वे कर वर्तमान स्थिति की सूची तैयार किया गया है। जोन के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि गोकुल नगर में खटाल संचालको को भूमि का आबंटन किया था। जिसमे से ज्यादातर लोग स्थल पर काबिज पाये गये है किन्तु उक्त आबंटित भूमि का आबंटितो के नाम पर पंजीयन नही किया गया था। उन्हे आयुक्त के निर्देश पर 57 नोटिस वितरण किया गया है। राजस्व अधिकारी जे. पी. तिवारी ने बताया कि गोकुल नगर के आबंटितियो को आबंटन दिनांक से वित्तीय वर्ष तक की गणना कर राशि भुगतान हेतु सूचित किया गया है। जैसे ही राशि निगम कोष में जमा होगा आगे कार्यवाही प्रस्तावित किया जाएगा। वही कुरूद के सुन्दर विहार कालोनी के पास खसरा नं. 1423 की शासकीय भूमि का सीमांकन राजस्व आर. आई., पटवारी द्वारा किया गया है। बता दे कि उक्त शासकीय भूमि पर केन्द्र सरकार द्वारा सी. बी. जी. प्लांट का निर्माण किया जाना है। इस दौरान सहायक राजस्व निरीक्षक नरसिंग साहू, पटवारी कुरूद अल्का साहू, निगम के कृष्ण कुमार सुपैत, हरि ताम्रकार, मदन मोहन तिवारी, लोकेश बया, प्रतीक तिवारी, कार्तिक, समीर अहमद उपस्थित रहे।